न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 30A/2016

रणजीत कौर पत्नी गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी कमीनपुरा तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलांट

बनाम

1. सुखदेव सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी कमीनपुरा तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. निर्मल सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी कमीनपुरा तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. महेन्द्र कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी भूदटीवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्त.अधि. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर दिनांक 03.06.2009

उपस्थिति:–
श्री राजकुमार नागपाल , अभिभाषक अपीलांट
श्री तेजा सिंह, अभिभाषक रेस्पों.
श्री इकबाल सिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :– 17.11.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीया/अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 88, 188 का पेश कर चक 27एक की मृतक गुरदयालसिंह की आराजी खाता नं. 13/36 के मु.नं. 4 के 3.05 बीघा में से 2/3 हिस्सा में 1/4 हिस्सा की आराजी, खाता सं. 19/16 मु.नं. 15 , 39, 44, 45 के 67.08 बीघा आराजी में 45 हिस्सा खाता सं. 20/26 मु.नं. 7, 27 के 35.10 बीघा में 14.10 बीघा, खाता सं. 32/28 मु.नं. 21, 22, 31, 32 ,40 के कुल 70.05 बीघा आराजी में 301–1/2 हिस्सा की आराजी व खाता नं. 3/3 के मु.नं. 3, 5, 7 के 15.08 बीघा में से मु.नं. 7 के कि.

17/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

नं. 21 के 8 बिस्वां, मुनं. 8, 48, 50, 57 में 70.09 बिस्वा आराजी में से 16–11/16 हिस्सा की आराजी में 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित करने एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे वादीया के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप न करें एवं उक्त आराजी को रहन, बैय व वसीयत करने से बाज व ममनू रहे।

प्रतिवादी सं. 1 व 3 ने जबाब दावा मय काउंटरक्लेम पेश कर दावा को खारिज करने का काउंटरक्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अधी. न्यायालय द्वारा 7 वाद बिन्दु कायम किये गये। सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 03.06.2009 को वाद वादीया खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में एवं वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधी. न्यायालय ने तनकी सं. 1 व 2 का निर्णय वादीया अपीलांट के विरूद्ध किया है। अपीलांटा मृतक गुरदयालसिंह के नाम भूमि में से 1/4 हिस्सा की हकदार है जिसपर वह काबिज चली आ रही है जो दस्तवरदारी दिनांक 09.10.1995 को करवायी है। वह कपट पूर्वक और अपीलांट के औरत जात का लाभ उठाकर करवायी है जो अवैध व शून्य है। तनकी सं. 3 व 4 का निर्णय अधी. न्यायालय ने गलत किया है। तनकी नं. 6 का निर्णय अधी. न्यायालय द्वारा गलत किया है। वादीया अपने वाद को साक्ष्य में पूर्ण रूप से साबित किया था फिर भी अधी. न्यायालय ने वाद को खारिज कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर वादीया का वाद स्वीकार किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2011(1) पेज 432, आर.आर.डी. 2008 पेज 475 की नजीरें पेश की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि की दस्तवरदारी पंजीकृत दस्तावेज है जो वादीया अपीलांट ने स्वयं करवायी है जिसे कूटरचित नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में वो ऐसा वाद लाने की अधिकारी नही थी। वादीया विवादित भूमि की खातेदार नहीं है एवं उसका गुरदयालसिंह की भूमि में हक नहीं है। वादिया द्वारा अधी. न्यायालय में वाद पेश

17/10/12

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

होने पर अधी. न्यायालय द्वारा प्रत्येक तनकी पर अपना निष्कर्ष दिया है और वादीया का वाद खारिज कर दिया जिसमें कोई त्रुटि नही है। अत: अपील खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील रेस्पों. ने आर.आर.टी. 2013(2) पेज 832 की नजीर पेश की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के निर्णय दिनांक 03.06.2009 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा वादी का Claim इस आधार पर खारिज करते हुए दावा खारिज किया है कि अपीलांट अपना हिस्सा रेस्पों. के पक्ष में हक तर्क कर चुकी है। अत: दावा खारिज किया है जबकि अपीलांट हक तर्क का दस्तावेज कूटरचित होने से अपील स्वीकार करते हुए अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त कर अपीलांट का दावा डिक्री किये जाने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधी. न्यायालय द्वारा दावे एवं जबाब दावे के आधार पर कुल सात तनकीयात कायम की जिस पर साक्ष्य संग्रहित होकर तनकी सं. 1 व 2 सिद्ध करने का जिम्मा वादीया रणजीत कौर द्वारा सिद्ध की जानी थी जो वादीया द्वारा अपने हिस्से की भूमि तर्क करने से दोनों ही तनकीयां वादीया सिद्ध करने में असफल रही। यही तनकी सं. 3 से 7 प्रतिवादीगण द्वारा सिद्ध करनी थी जो हक तर्क का दस्तावेज कूटरचित नहीं होना साबित इस आधार पर किया कि कूटरचना की F.I.R. दर्ज होकर अनुसंधान में F.R. , हक तर्क का दस्तावेज उप पंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध होकर इस दस्तावेज के आधार पर नामान्तरणकरण स्वीकृत होने के साथ-साथ क्षेत्राधिकार के बिन्दु सहित सभी तनकीयात प्रतिवादीगण/रेस्पों. द्वारा साबित की जाने से तनकीयात विनिश्चय के अनुसार दावा खारिज किया है।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा हक तर्क दस्तावेज फर्जी होना जाहिर किया साथ ही प्रस्तुत न्याय सिद्धांत आर.आर.डी. 2008 पेज 474 का हवाला देकर कहा कि राज.काश्त.अधि. में हक तर्क के आधार पर कृषि भूमि हस्तांतरण के कोई प्रावधान नही होने से हक तर्क के दस्तावेज को अधी. न्यायालय द्वारा गलत रूप में साक्ष्य में मानकर

31/1/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

खारिज किया है जिसका प्रतिकार करते हुए अभिभाषक रेस्पों. द्वारा अपनी बहस में जाहिर किया कि राजस्व विभाग/पंजीयन विभाग के दस्तावेज जो पुलिस अनुसंधान से साबित एवं प्रमाणित हो चुका है कि हक तर्क फर्जी नहीं था तथा हक तर्क पंजीयन अधि. की धारा 17 में अनिवार्य पंजीयन योग्य होकर पंजीयन होने पर इसी अधि. की धारा 49 में साक्ष्य में ग्राहय होना अधी. न्यायालय द्वारा सही विवेचन किया है तथा हक तर्क के प्रावधान काश्तकारी अधिनियम में होने बाबत कोई कथन अपील मीमो में नहीं होने से बहस स्तर पर यह बिन्दु नहीं उठाया जा सकता।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचता है कि अधी. न्यायालय द्वारा किये निर्णय का आधार हक तर्क का दस्तावेज है जो एक विधिक दस्तावेज है, माना जाकर दावा खारिज किया है जिसे discredit सिविल न्यायालय द्वारा ही किये जाने के क्षेत्राधिकार को मध्यनजर रखते, अपील अपीलांट खारिज योग्य होकर खारिज की जाती है एवं अधी. न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/11/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

डिक्री व सीगे अपील

(ओ.41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी,

रणजीत कौर पत्नी गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी कमीनपुरा तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। ---अपीलांट

बनाम

1. सुखदेव सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी कमीनपुरा तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. निर्मल सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी कमीनपुरा तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. महेन्द्र कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह पुत्र जगीर सिंह जाति जटसिख निवासी भूट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर। ---रेस्पोंडेन्ट्स

अपील संख्या 30A/2016 व नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर मुर्ख्ख 03 माह 06 सन् 2009

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 17 माह 11 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री राजकुमार नागपाल अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट व श्री तेजासिंह अभिभाषक रेस्पों. एवं श्री इकबालसिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं अधी. न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग ..X .....) रूपये..X .... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..X .... अदा करें।

बसाक्ष मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 17.11.2017 जारी किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर